निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 12/2018 अपील Rcms No - 2018/00927
दायरा दिनांक :– 26.12.2018
निर्णय दिनांक :– 12.06.2019

उनवान

1. मुकलेशबाई पत्नी फूलचन्द जाति लोधा निवासी भावपुरा
2. दीपू पुत्र फूलचन्द नाबालिग
3. राजकुमारी पुत्री फूलचन्द नाबालिग
4. प्रिंयका पुत्री फूलचन्द नाबालिग
5. नैवा पुत्री फूलचन्द नाबालिग जाति लोधा निवासीगण भावपुरा नाबालिगान की वली व सरपरस्त माता मुकलेशबाई पत्नी स्व. फूलचन्द जाति लोधा निवासी भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद।

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र बद्रीलाल जाति लोधा निवासी भावपुरा
2. कजोडीलाल पुत्र शोलाल जाति लोधा निवासी भावपुरा
3. रामप्यारी पुत्री शोलाल पत्नी रामचरण जाति लोधा निवासी हाल सालरखोह तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.
4. भूलीबाई पुत्री शोलाल पत्नी कंवरलाल जाति लोधा निवासी हाल पाडलिया झौपडिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.
5. प्रेमबाई पुत्री शोलाल पत्नी राधेश्याम जाति लोधा निवासी हाल बरसत तहसील छीपाबड़ौद
6. सरपंच ग्राम पंचायत भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
7. श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना बारां
8. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.

अपील बनाराजगी, इन्तकाल नम्बर 1143 वाके ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

निर्णय दिनांक :–

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे स्थित खाता संख्या 18 मे स्थित आराजी खसरा नंबर 236, 237, 239, 241, 247 कुल 5 किता रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 5 एवं मोतीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति लोधा निवासी भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद के खातेदारी मे

दर्ज जमाबंदी है, तथा ग्राम भावपुरा मे स्थित खाता संख्या 254 मे स्थित आराजी खसरा नंबर 236 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एवं मोतीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति लोधा निवासी भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद के खातेदार मे दर्ज जमाबन्दी है।

उक्त आराजी के खातेदारी मोतीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति लोधा निवासी भावपुरा का स्वर्गवास दिनांक 24.11.2018 को चुका है, उक्त खातेदार मोतीलाल ने अपने खातेदारी की आराजी की वसीयत दिनांक 11.07.1998 को अपीलान्ट के पिता व पति फूलचन्द दत्तक पुत्र दौलतराम जाति लोधा निवासी भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद के नाम 5/–रूपये के स्टाम्प पर की थी उक्त वसीयत के अनुसार स्वर्गीय खातेदार मोतीलाल आराजी का हकदार, हिस्सेदार उक्त फूलचन्द था, परन्तु फूलचन्द का स्वर्गवास हो जाने से र्स्वगीय मोतीलाल खातेदार के हिस्से की आराजी का फोती इन्तकाल स्वर्गीय फूलचन्द के वारिसान अपीलान्ट के नाम खोला जाना चाहिये था, परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने बिना वसीयत की जांच किये उक्त इन्तकाल नंबर 1143 ग्राम भावपुरा का रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम गलत तरीके से खोल दिया है, जो काबिल खारिजी है। रेस्पोडेन्ट नंबर 6 ने उक्त इन्तकाल नंबर 1143 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट सहखातेदार को भी नही बुलाया और उनको कोई सुनवाई का अवसर भी नही दिया, जबकि अपीलान्ट फूलचन्द के वारिस थे, और उक्त स्वर्गीय मोतीलाल के खातेदारी की आराजी के हकदार थे। इसलिए उक्त इन्तकाल प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरित खोले जाने से काबिल खारिजी है। उक्त स्वर्गीय मोतीलाल खातेदार की आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है, तथा उक्त आराजी परवन वृहद सिचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षैत्र मे आ गई है। उक्त अवैध इन्तकाल के आधार पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 उक्त वर्णित एवं मोतीलाल के खातेदारी की आराजी के मुआवजे की राशि प्राप्त करने पर उतारू है, जो अवैध है। अपीलान्ट नंबर 2 ता 5 नाबालिग है, और वह अपनी माता अपीलान्ट नंबर 1 की संरक्षता मे रहते है। उक्त इन्तकाल दिनांक 05.12.2018 को रेस्पोडेन्ट नंबर 6 द्वारा तस्दीक किया है, जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 24.12.2018 को प्राप्त होने पर एवं उक्त विवादित आराजी ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित होने से उक्त अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम भावपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 18, नकल जमाबन्दी ग्राम भावपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 254, नकल नामान्तकरण नंबर 1143 ग्राम भावपुरा, नकल वसीयत नामा, नकल मृत्यु प्रमाण–पत्र, फोटो प्रति प्रार्थना–पत्र रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत्, मोतीलाल का इलाज जिस अस्पताल मे कराया गया, उसके पर्चे की फोटो प्रति, भवरलाल पुत्र कजोडलाल मीण, जगदीश पुत्र पाचूलाल लोधा, भीमसिंह पुत्र कवरलाल लोधा, गणेशराम पुत्र मांगीलाल लोधा, रामप्रसाद पुत्र कजोडीलाल धाकड, ग्यासीराम पुत्र गौरीलाल लोधा, ग्यारसीराम पुत्र देवीराम लोधा, गोपाल पुत्र कवंरलाल लोधा के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के -दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है, कि फूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है, जिसकी पत्नी मुकलेश बाई अपीलान्ट है। मोतीलाल का स्वर्गवास होने के बाद रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा मोतीलाल का फोती इन्तकाल 1143 अपने नाम करवा लिया। विवादित आराजी 22 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम भावपुरा मे स्थित है, जिसमे मृतक मोतीलाल पुत्र बद्रीलाल का हिस्सा 1/3 सहखातेदार के रूप मे दर्ज था। मोतीलाल का स्वर्गवास दिनांक 24.11.2018 को हुआ था। मोतीलाल

द्वारा दिनांक 11.07.1998 को अपीलान्ट नंबर 1 के पति फूलचन्द के नाम 5/—रूपये के स्टाम्प पर वसीयत नामा लिखवाया गया था। मोतीलाल के स्वर्गवास के बाद वसीयत नामा के आधार पर इन्तकाल फूलचन्द के नाम खुलना था, किन्तु स्वर्गवास के बाद इनके वारिसान अपीलान्ट है, परन्तु मोतीलाल की मृत्यु के बाद भाई चम्पालाल के नाम नामान्तकरण खोलकर तस्दीक किया गया। राजस्व कर्मचारियों ने सहखातेदारान को न तो सूचना दी और मोतीलाल के क्रियाक्रम मे अपीलान्ट मुकलेश बाई लगी रही और रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा मोतीलाल के 12 वे दिन पूरे नही होने से पहले ही मोतीलाल की मृत्यु के 2—3 दिन बाद ही इन्तकाल अपने नाम खुलवाकर तस्दीक करवा लिया गया। मोतीलाल का क्रियाक्रम करने के बाद अपीलान्ट मुकलेश बाई पटवारी के पास नामान्तकरण खुलवाने के लिये गई, तब पता चला कि मोतीलाल का फोती इन्तकाल चम्पलाल के नाम दर्ज हो चुका है, जो इन्तकाल दर्ज किया गया है, वह गलत है। वसीयत नामा फूलचन्द के नाम है। इन्तकाल नंबर 1143 ग्राम भावपुरा निरस्त किया जावे, तथा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। चम्पालाल ने विवादित भूमि का मुआवजा ले लिया है। चम्पालाल के नाम जो इन्तकाल खोला गया है, उसको मेरे द्वारा चैलेन्ज किया गया है। चम्पालाल अपने हिस्से तक मुआवजा राशि उठाता, तो मुझे कोई आपत्ति नही थी। मोतीलाल की आराजी का चम्पालाल द्वारा मुआवजा राशि क्यो उठाई गई। मुकलेश बाई ने अपना हिस्सा 1/3 की राशि का मुआवजा उठाया है। मोतीलाल के हिस्से का फोती इन्तकाल खोला गया है, उससे मे सहमत नही हूँ। मोतीलाल की आराजी वसीयत द्वारा आई है। वसीयत के आधार पर जांच करके सही वारिसान के नाम इन्तकाल खोला जाये, तथा इन्तकाल नंबर 1143 वाके ग्राम भावपुरा खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि मोतीलाल, चम्पालाल, दौलतराम तीनो सगे भाई थे। दौलतराम लाऔलाद फोत हुआ। दौलतराम के फूलचन्द गोद गया था। जब फूलचन्द दौलतराम का दत्तक पुत्र था, तो मोतीलाल का दत्तक पुत्र कैसे हो सकता है। मोतीलाल द्वारा दत्तक पुत्र वसीयतनामा लिखाया है। एक व्यक्ति दो लोगो के कैसे गोद जा सकता है। न्यायालय ए.डी.जे. से दत्तक पुत्र घोषित हुआ है। वसीयत मे चल अचल सम्पत्ति के बारे मे कही नही लिखा है। ये भूमि राज्य सरकार के नाम हो चुकी है। भूमि जल संसाधन के नाम दर्ज हो चुकी है। मुआवजा राशि उठा ली है। दखल नामा पर सैलाउट कर दी है। उसकी कार्यवाही क्यो नही की। मोतीलाल कही भी हस्ताक्षर नही करता था। मोतीलाल चपरासी था, अंगूठा लगाता

था। मोतीलाल का वकालत नामा पेश कर दूंगा। विवादित भूमि राज्य सरकार के न्ाम दर्ज हो चुकी है। अपील चलने योग्य नही होने से खारिज की जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भावपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 18 के अनुसार कजोडी लाल पुत्र शोलाल रामप्यारी भूलीबाई, प्रेमबाई पुत्रिया शोलाल हिस्सा 1/2 मोतीलाल, चम्पालाल, पुत्र बद्रीलाल हिस्सा 1/3, फूलचन्द दत्तक पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/6 जाति लोधा सा.दे.ह दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 मे नामान्तकरण नंबर 1143 दिनांक .05.12.2018 से मृतक मोतीलाल लाओलाद फोत होने से भाई चम्पालाल पुत्र बद्रीलाल के हिस्सा 1/3 मे खाता दर्ज करने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम भावपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 254 के अनुसार मोती, चम्पालाल पुत्र बद्रीलाल फूलचन्द दत्तक पुत्र दौलतराम हिस्सा बराबर सा.देह दर्ज है। इन्तकाल नंबर 1143 ग्राम भावपुरा मृतक मोतीलाल का फोती इन्तकाल चम्पालाल पुत्र बद्रीलाल के नाम दर्ज होना पाया जाता है। वसीयत नामा 11 जुलाई 1998 को मोतीलाल द्वारा फूलचन्द दत्तक पुत्र दौलतराम के पक्ष मे किया जाना पाया जाता है। अपीलान्ट द्वारा कुछ ग्रामवासियान के शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किये गये है, जिससे यह साबित होता है, कि मोतीलाल द्वारा फूलचन्द के नाम वसीयत कराई गई थी। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य सामने आता है, कि मृतक मोतीलाल द्वारा फूलचन्द के नाम दिनांक 11.07. 1998 को वसीयत नामा कराया था, परन्तु उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही किया। मोतीलाल की मृत्यु दिनांक 24.11.2018 को हुई थी, तथा नामान्तकरण दिनांक 05.12. 2018 को चम्पालाल पुत्र बद्रीलाल के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण तस्दीक कराने के बाद रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा भूमि का मुआवजा भी उठा लिया गया। मृतक मोतीलाल के 12 दिन पूरे नही होने से पहले ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर तस्दीक करवा लिया गया। मोतीलाल की मृत्यु होने के तुरन्त बाद नामान्तकरण खुलवाना संदेहप्रद है, जबकि नामान्तकरण तस्दीक करते समय मोतीलाल के जायज वारिसो की जांच कर व सहखातेदारान को सुनने के उपरान्त तस्दीक किया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर वसीयत नामा की जांच उपरान्त नामान्करण खोलने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नंबर 1143 ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद खारिज किया जाता है। मुताविक वसीयतनामा जांच उपरान्त मृतक मोतीलाल का फोती इन्तकाल खोला जाकर तस्दीक किये जाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को निर्देशित किया जाता है ।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2019.07.16 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: